न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–दिनेश कुमार यादव,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 33/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
कृष्णसिंह पुत्र बेरीशालसिंह उर्फ उगमसिंह जाति राजपूत निवासी भींवाचा, तहसील मकराना जिला नागौर हाल निवासी बी.जे.एस. कोलोनी,जोधपुर, राज.		1. तहसीलदार (भूअभिलेख) जिला कलक्ट्रेट, नागौर 2. तहसीलदार मकराना, जिला नागौर, राज.

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री गंगासिंह कालवी।
2. अप्रार्थी की और से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश दिनांक– 09-12-2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत, तहसीलदार मकराना द्वारा मौजा भींचावा के खसरा नम्बर 44, 45, 247, 247/1, 247/2 एवं 247/4 कुल रकबा 33 बीघा 12 बिस्वा का म्यूटेशन के बाबत कार्यवाही नहीं करने से मामला किसी अन्य तहसीलदार के यहां मुन्तकिल करने तथा अप्रार्थी संख्या–1 तहसीलदार, (भूअभिलेख) कलेक्ट्रेट, नागौर के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु दिनांक 11.11.2019 को प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार मकराना को मौजा भींचावा के खसरा नम्बर 44, 45, 247, 247/1, 247/2 एवं 247/4 कुल रकबा 33 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी बेरीशालसिंह पुत्र फतेहसिंह, जाति राजपूत के नाम स्वीकृत थी। बाद में उनके फौतगी के बाद नामान्तरकरण कृष्णसिंह पुत्र बेरीशालसिंह के नाम से स्वीकृत हुआ था।

उपरोक्त खसरान की भूमि में ग्राम पंचायत भींचावा द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकृत करने पर प्रार्थी द्वारा अपील संख्या 5/2007 उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा दिनांक 21.6.2010 को स्वीकार हो चुका है जिसके विरूद्व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर में अपील संख्या 112/2010 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 15.6.2010 को गैर सायलान की अपील खारीज की गई एवं उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा दिनांक 21.6.2010 को दिया गया आदेश यथावत रखा गया।

खसरान से संबंधित अब कोई स्थगन आदेश नहीं है एवं उपरोक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी का नामान्तरकरण किया जाना जरूरी है। प्रार्थी एवं खातेदार का कब्जा काश्त था लेकिन अब माफिक अपील के आदेशानुसार प्रार्थी का नाम खातेदारी का इन्द्राज किया जाना जरूरी है। जिससे प्रार्थी के हितो की रक्षा हो सकेगी मगर इस पर कोई नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई व कागजात ऐसी ही बिना कार्यवाही पड़े रहे। इसके बाद प्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र को मुन्तकिल करने के लिए सन् 2016 मे किया जो संख्या ई–8/2016 था। इसमें श्रीमान ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके मामला तहसीलदार भूअभिलेख नागौर को उचित कार्यवाही करके नामान्तरकरण स्वीकार करने के लिए लिखा जो आदेश दिनांक 12.10.2017 का है मगर तहसीलदार भूअभिलेख नागौर ने इसमें कुछ भी कार्यवाही नहीं की है व कोई जवाब प्रार्थी को नहीं दे रहे है न प्रगति बता रहे है इस कारण से प्रार्थी को अपने वाजिब हक

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

से वंचित है क्योकि उसके नाम भूमि राजकीय रेकार्ड में चढ़ ही नहीं रही है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष दुबारा पेश कर रहा हूं।

प्रार्थी जिला कलक्टर नागौर के समक्ष कई बार उपस्थित हुआ है व सारी स्थिति बताई है। जिला कलक्टर नागौर ने टेलिफोन भी संबंधित तहसीलदार को किया है मगर इसके बावजूद कुछ भी कार्यवाही नहीं होने का कथन करते हुए यह मामला किसी अन्य तहसीलदार के यहां मुन्तकिल किया जाने व संबंधित पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने की व्यवस्था की जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दन सिंह आचीणा ने अप्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया कि ग्राम भींचावा के खसरा नम्बर 44, 45, 247, 247/1, 247/2, 247/4 कुल रकबा 33.12 बीघा 5.4390 हैक्टेयर में बीजेसिंह पुत्र फतेहसिंह हिस्सा 1/2 बेरीसालसिंह पुत्र फतेहसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज रेकर्ड है। बेरीसालसिंह पुत्र फतेहसिंह के स्थान पर कृष्णसिंह के हक में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 08.01.2007 को दर्ज किया गया था, उक्त नामान्तरकरण संख्या 518 को ग्राम पंचायत भींचावा की बैठक दिनांक 05.02.2007 प्रस्ताव संख्या 4 के द्वारा तत्समय अस्वीकृत किया जा चुका है।

नामान्तरकरण संख्या 528 अस्वीकृत होने पर ग्राम पंचायत भींचावा के निर्णय दिनांक 05.02.2007 के विरूद्व प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के यहां दायर अपील संख्या 05/2007 निर्णय दिनांक 21.06.2010 द्वारा ग्राम पंचायत भींचावा के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.02.2007 के आदेश को निरस्त किया जाकर तहसीलदार मकराना को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश प्रदान किये। अपील प्रकरण संख्या 05/2007 निर्णय दिनांक 26.10.2010 के विरूद्व अपीलांट भंवराराम पुत्र भागीराम वगैरह खाती निवासी भींचावा ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर में अपील संख्या 112/2010 दायर की गई जिसका निर्णय दिनांक 15.06.2012 को करते हुए माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के निर्णय दिनांक 21.06.2010 को यथावत कायम रखा गया।

प्रार्थी कृष्णसिंह द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण संख्या 33/2019 में प्रस्तुत आवेदन में मिथ्या कथन किया है कि उपरोक्त खसरान से सम्बन्धित अब कोई स्थगन आदेश नहीं है। वर्तमान में भी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के यहां विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 40/2006 उनवान भंवरलाल बनाम बीजेसिंह में दिनांक 04.05.2016 से मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति ता फैसला बनाये रखने का आदेश पारित है। इसी संदर्भ में राजस्व वाद संख्या 73/2006 भी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के यहां अनवान भंवरलाल बनाम बीजेसिंह वर्तमान में भी विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.12.2019 नियत है। इस प्रकार उक्त खसरो में से खसरा नम्बर 247/4 पर ताफैसला स्थगन आदेश है एवं राजस्व वाद संख्या 73/2006 आदिनांक विचाराधीन है। न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सभी खसरे एक ही खाते में दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.08.2016 को तहसील कार्यालय मकराना में नामान्तरकरण हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया था जिसमे उक्त भूमि के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं होने और ना ही किसी न्यायालय से स्थगन होने का उल्लेख किया है जबकि प्रार्थी को भली भांति इस आशय की जानकारी रही है कि प्रकरण माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के यहां विचाराधीन है एवं दिनांक 04.05.2016 से मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति ता फैसला बनाये रखने का आदेश पारित है और स्थगन के बावजूद प्रार्थी कृष्णसिंह द्वारा मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रकार स्थगन बावजूद प्रार्थी कृष्णसिंह द्वारा जानबूझकर न्यायालय हाजा के माध्यम से बार बार नामान्तरकरण हेतु निवेदन किया जा रहा है। राजस्व वाद संख्या 73/2006 वर्तमान मे भी विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.12.2019 नियत है। इस प्रकार उक्त खसरों में खसरा नम्बर 247/4 तक ताफैसला स्थगन आदेश है एवं राजस्व वाद संख्या 73/2006 आदिनांक विचाराधीन है। इस प्रकार प्रकरण विवादित एवं

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा मुख्यतः मौजा भींचावा के खसरा नम्बर 44, 45, 247, 247/1, 247/2 एवं 247/4 कुल रकबा 33 बीघा 12 बिस्वा का म्यूटेशन के बाबत कार्यवाही नहीं करने से मामला किसी अन्य तहसीलदार के यहां मुन्तकिल करने तथा अप्रार्थी संख्या–1 तहसीलदार, (भूअभिलेख) कलेक्ट्रेट, नागौर के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी के अनुसार खसरान से संबंधित अब कोई स्थगन आदेश नहीं है एवं उपरोक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी का नामान्तरकरण किया जाना जरूरी है। अप्रार्थीगण से प्राप्त रिपोर्ट एवं राजपैरोकार द्वारा किये गये कथनों के अनुसार प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के यहां विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 40/2006 उनवान भंवरलाल बनाम बीजेसिंह में दिनांक 04.05.2016 से मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति ता फैसला बनाये रखने का आदेश पारित है। इसी संदर्भ में राजस्व वाद संख्या 73/2006 भी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के यहां अनवान भंवरलाल बनाम बीजेसिंह वर्तमान में भी विचाराधीन है। उक्त खसरो में से खसरा नम्बर 247/4 पर ताफैसला स्थगन आदेश है। प्रकरण में अप्रार्थीगण अथवा राजपैरोकार द्वारा उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत किसी सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि के नामान्तकरण का प्रकरण में आगामी कार्यवाही एवं सुनवाई हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को मुन्तकिल किया जाता है। तहसीलदार मकराना को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि के नामान्तकरण का प्रकरण आदेश प्राप्ति के सात दिवस में तहसीलदार कुचामनसिटी को भिजवाने के निर्देश दिये जाते है। आदेश की प्रति अप्रार्थीगण को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 16:46:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: